International Journal of Sociology and Political Science
www.sociologyjournal.in
Online ISSN: 2664-7745, Print ISSN: 2664-7737
Received: 04-07-2025, Accepted: 03-08-2025, Published: 18-08-2025
Volume 7, Issue 3, 2025, Page No. 41-42

महिला आरक्षण बिल : भारतीय राजनीति में लैंगिक समानता क्रांति

निर्मल बंबोरिया
सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय, जावदा, निम्बाहेड़ा, राजस्थान, भारत

सारांश
भारत का लोकतंत्र विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में गिना जाता है, परंतु इसमें महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी का प्रतिशत अपेक्षाकृत बहुत ही कम है, परंतु देखा जाए तो वर्तमान में महिलाएं चिकित्सा,अंतरिक्ष, शिक्षा, खेल आदि क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही है। फिर भी महिलाओं की राजनीति में स्थिति न्यून ही बनी हुई है। ऐसे में महिलाओं के लिए 'आरक्षण बिल' को महिलाओ की राजनीति भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक राजनीतिक क्रांति या राजनीति में समता क्रांति माना जा रहा है।

मूलशब्द: लोकतंत्र, परचम, महिला आरक्षण, क्षमता क्रांति, लैंगिक समानता।

महिला आरक्षण बिल का इतिहास

महिला आरक्षण बिल की बात करें तो यह नया विचार नहीं है इसकी चर्चा सबसे पहले 73 वां तथा 74 वां संविधान संशोधन के दौरान हुई, जब पंचायत व नगर पालिकाओं में महिलाओं को 33: आरक्षण प्रदान किया गया

1996 में देवगोड़ा सरकार के समय लोकसभा में यह बिल पास किया गया, परंतु यह बिल आगे पास नहीं हो पाया।

2008 में मनमोहन सरकार के समय राज्यसभा के में पारित कर दिया गया किन्तु लोकसभा में यह बिल पास नहीं हो पाया।

2023 में एनडीए (BJP) की मोदी सरकार ने इसे नए रूप में "नारी शक्ति वंदन अधिनियम" के नाम से संसद में पेश किया, यह बिल पूर्ण बहुमत से संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया। यह अधिनियम 106 वां संविधान संशोधन था।

इस अधिनियम को पारित होने में भारत की महिलाओं ने अनेक दशकों का इंतजार किया। इस अधिनियम के पारित होते ही ऐसा लगा जैसे वर्षों से बंधी महिलाओं की चूल्हे वाली जिंदगी से निजात मिल गया।

इस प्रकार महिला आरक्षण बिल को पारित करने की यह यात्रा लगभग तीन दशकों तक चली जिसमें राजनीति इच्छा शक्ति, सामाजिक समर्थन, महिला आंदोलन तथा इंटरनेट की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

महिला आरक्षण बिल की मुख्य विशेषताएं

1. आरक्षण का दायरा– लोकसभा व राज्य विधानसभा में 33: सीटे महिलाओं के लिए आरक्षित होगी।
2. अंतर्गामी वर्गों का प्रतिनिधित्व– एससी व एसटी महिलाओं को भी इसी अनुपात में आरक्षण मिलेगा।
3. घूमती आरक्षित सीटे– आरक्षित सीटों की व्यवस्था समय–समय पर अलग–अलग क्षेत्र में लागू की जाएगी।
4. अवधि– आरक्षण की प्रारंभ की अवधि 15 वर्षों तक रहेगी तथा इसका प्रारंभ जनगणना व परिसीमन के बाद ही यह आरक्षण लागू किया जाएगा।

महिला आरक्षण की आवश्यकता क्यों?

भारत में वर्तमान जनसंख्या को देखें तो लगभग आधी जनसंख्या महिलाओं की है, किंतु उनकी यदि भागीदारी देखें तो लगभग हर क्षेत्र में पिछड़ी है.जैसे लोकसभा में 2024 चुनाव का प्रतिशत देखें तो 15: या उससे भी कम देखने को मिलेगा एवं राज्य विधानसभाओं में उनकी भागीदारी देखें तो 10: से भी कम मिलेगी।

राजनीतिक दल भी महिलाओं को टिकट देने में प्राथमिकता नहीं देते हैं, इस असंतुलन को दूर करने के लिए आरक्षण एक जरूरी उपाय माना जा सकता है।

महिला आरक्षण के पक्ष में तर्क

भारतीय राजनीति के उथल –पुथल के दशकों मे बहुत से उतार–चढ़ाव देखने को मिले भले ही भारतीय संसद में महिलाओं का प्रतिशत 15: ही है, परंतु आगे आने वाले समय में महिलाओं की भागीदारी राजनीति में कैसे सुनिश्चित हो इसका निर्णय यह बिल करेगा।

1. लोकतंत्र तभी सशक्त होता है जब सभी वर्गों को समान अवसर मिले।
2. भारतीय राजनीति में भागीदारी से महिलाएं नीति निर्माण में भाग लेगी और समाज के महिला मुद्दों को सामने लाएगी।
3. नई पीढ़ी की लड़कियों के लिए यह प्रेरणा बनेगा की वह भी भारतीय राजनीति में अपना परचम लहरा सकती है।
4. विविधता से लोकतांत्रिक प्रणाली अधिक मजबूत होती है।
5. स्थानीय चुनाव में महिलाओं को आरक्षण देने में बहुत हद तक सफलता प्राप्त की है।

महिला आरक्षण के विरोध में तर्क

वर्तमान समय में देखा जाए तो सरकारी नौकरी या अन्य व्यवसाय में महिलाओं के लिए हजारों योजना क्रियान्वित हो रही है, जिससे महिला वर्गों की उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर रही है, परन्तु इसे पुरुष वर्ग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। कुछ लोग मानते हैं की स्थाई आरक्षण से राजनीति में योग्यता प्रभावित हो सकती है। परिसीमन के बाद ही आरक्षण लागू होगा जिससे इसे लटकाया जा सकता है।

कुछ पार्टियों इसे केवल चुनावी रणनीति मानती है। पंचायत चुनाव में कई जगह देखा जाता है कि महिला सिर्फ नाम की सरपंच होती है असली शक्ति पति या परिवार की होती है इससे "प्रोक्सी राजनीति"का खतरा बना रहता है कई दलों की मांग है कि ओबीसी महिलाओं को भी अलग से आरक्षण मिलना चाहिए।

आलोचना व विवाद

अनेक विपक्षी दलों का कहना है कि यह बिल 2024 की लोकसभा चुनाव के पहले क्यों लागू किया गया सत्ता पक्ष चुनावी रोटियां सीखने में लगे हैं

परिसीमन व जनगणना जैसे शर्तों को एक बाधा के रूप में देखा गया है।

कुछ संगठनों एवं महिला हितों से जुड़े हुए संगठनों का मानना है कि राजनीतिक दलों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र और टिकट वितरण में भी पारदर्शिता होना जरूरी है।

राजनीतिक दलों की भूमिका

इस महिला आरक्षण विधेयक पर लगभग सभी राजनीतिक दल व दबाव समूह ने सहमति जताई है तथा उनके समर्थन के रूप में भी पेश आए हैं, परंतु जब टिकट देने की बात आती है तो बहुत कम महिलाएं उम्मीदवार बनाई जाती है। राजनीतिक दलों को भविष्य में भी अपने संगठन में महिलाओं को नेतृत्व देना चाहिए तथा चुनाव टिकट में भी उन्हें 33ः हिस्सा देना चाहिए।

अंतर्राष्ट्रीय परिपेक्ष में महिलाओं की स्थिति

रवांडा देश में महिला की संसद में लगभग 60ः से अधिक उपस्थित हैं। नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन में भी लैंगिक समानता में अपना महत्वपूर्ण स्थान है। वर्तमान में भारत की स्थिति संसद में भी दयनीय है, जो 15ः के लगभग हैं।

निष्कर्ष

महिला आरक्षण बिल भारत के लिए 'मिल का पत्थर' साबित होगा। यह बिल भारत ही नहीं पश्चिम एशिया में क्रांति लाने का कार्य करेगा।

यह महिला को राजनीतिक ही नहीं सामाजिक रूप में भी सशक्त बनाएगा हालांकि अनेक चुनौतियों से भरा है ये बिल परंतु इस बिल को 'सशक्तिकरण' के रूप में देखा जाए ना कि 'राजनीतिक सौदे' के रूप में आज के समय में अब भारत जहां नारी शक्ति केवल एक नारा ना होकर एक वास्तविकता बन गया है।

संदर्भ सूची

1. महिला आरक्षण बिल ॅपापचमकपलं
2. नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023